फर्द अहकाम

अजीत सिंह बनाम कन्हैयालाल वगैरा

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 45/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से संबंधित मूल वाद मूल के अन्तिम रूप से डिक्रीकर निर्णित किया जा चुका है, अतः अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस स्थगन प्रार्थना पत्र को इसी तरह से खारिज किया जाता है। निर्णय से इजलास उठाया गया। पत्रावली कैलेण्डर 4 माह होकर नम्बर से कम है तथा बाद पूर्ति धारिका डाटर है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़